

"आदेश"

अतः वादी यादू श्रीकांत किया जाकर ग्राफ
 सदरी परिवार क्षेत्र सदरी तहसील सोहावर जिला
 जोधपुर के ख. नं. 1710 रकबा 0.04 बीघा, ख. नं.
 1711 रकबा 19 बीघा, ख. नं. 1721 रकबा 40.06
 बीघा कुल रकबा 59.10 बीघा भूमि के राजस्व
 रेकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज वादी खं-01 का नाम
 सावंला के स्थान पर हंरचंदराज पुत्र दण्डुलाराज व
 वादी खं-02 का बुद्धिया के स्थान पर मजनाशाह
 पुत्र दण्डुलाराज तथा ख. नं. 1769 रकबा 81.18 बीघा
 भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज वादी खं-
 02 का नाम मजनाशाह के स्थान पर मजनाशाह
 का तहसीलदार सोहावर को आदेश किया जाता है
 कि पक्षकारान के कब्जा काश्त को स्थान में रखते
 हुए पक्षकारान के नाम राजस्व रेकॉर्ड में सही
 अंकित किए जाएं। माफिक आदेश टिकी पत्रों
 अलग से जारी किया गया।

पंजावली फोरल सुमार देकर
 जम्बाल से कर देकर दखिल दफ्तर हो।

सहायक जज (फास्ट ट्रेक) कलौदी